कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी
रौशनदौला कोठी, कैसरबाग, लखनऊ

दूरभाष –0522-2629886 ई–मेल lucknowadeo@gmail.com

संख्या 1545 / निर्वाचन– 155 / 2014–16 दिनॉक–21 नवम्बर, 2016

अल्पकालिक कोटेशन सूचना

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या–ए–297 / सी0ई0ओ0–4–42 / 4–2015 दिनांक– 19 नवम्बर, 2016 में दिये गये निर्देशानुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रशिक्षण कार्य को सुगम बनाने हेतु प्रशिक्षण में उपयोग में लाये जाने वाले उपकरणों यथा प्रोजेक्टर, स्कीन, साउण्ड सिस्टम (वायरलेस माइक के साथ) एवं स्टैण्ड सहित व्हाइट बोर्ड के निम्न तालिका के स्तम्भ 3 में अंकित निर्धारित फीचरों के अनुरूप कय करने हेतु दिनांक–26 नवम्बर, 2016 (दिन–शनिवार) को 14–00 बजे तक मोहरबन्द कोटेशन आमंत्रित हैं। नियत समय तक प्राप्त मोहरबन्द कोटेशन उसी दिन 16–00 बजे सार्वजनिक रूप से गठित समिति द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय, लखनऊ में खोली जायगी।

Sl. No.	Item	Minimum Specification
1	2	3
1.	Projector	WXGA (1280x800) resolution 3600 lumens of brightness and a 15000:1 contrast ratio 5000 hours lamp life Connectivity options- HDMI v1:3, VGA-In, S-Video, Composite Video, Audio-In
2.	Screen	Size: 8"X6"
3.	Sound System (With wireless mic)	VHF/UHF 2 channel system with two wireless microphones.
4.	Whiteboard with stand	Standard size

शर्ते

1. कोटेशनदाता फर्म को नियमानुसार व्यापार कर में पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
2. कोटेशनदाता फर्म को कोटेशन के साथ रूपये 5000–00 (रूपये पॉच हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ के पक्ष में देय हो, मूलरूप से संलग्न करना होगा।
3. आपूर्ति किए जाने वाले उपकरणों की दरे कोटेशन में अलग–अलग इंगित करना होगा।
4. कोटेशनदाता स्वीकृत फर्म को निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप अथवा उच्चतर विशिष्टि के अनुसार उपकरणों की आपूर्ति कार्यादेश के 3 दिन के अन्दर करना होगा तथा वारण्टी अवधि में उनके अनुरक्षण सम्बन्धित कार्य भी करने होंगे।

5. देयकों का भुगतान मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आवटन निर्गत किए जाने पर किया जायेगा।
6. किसी भी कोटेशन को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार जिला निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ के पास सुरक्षित होगा।

(सत्येन्द्र सिंह)
जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी
लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त कोटेशन का व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने हेतु अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराएं।

1. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
2. प्रभारी अधिकारी नजारत, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
3. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद-लखनऊ।
4. जिला सूचना विकास अधिकारी, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।

जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी
लखनऊ।